

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

दिनांक:- 03/01/2020

क्रमांक:- 350

### कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल की 240वीं बैठक दिनांक 17.01.2020 के विन्दु संख्या 240.3 लिये गये निर्णयानुसार मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में उपलब्ध निर्मित दुकाने/व्यावसायिक सम्पत्तियों को सम्बंधित अतिरिक्त मुख्य अभियंता/उप आवासन आयुक्त की अनुषंशा के आधार पर 0-25 प्रतिशत एवं 0-50 प्रतिशत स्लेब में छूट प्रदान करते हुए बुधवार नीलामी उत्सव के माध्यम से निस्तारण की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	योजना/शहर का नाम	निर्मित दुकाने/व्यावसायिक सम्पत्ति	0-25 प्रतिशत	0-50 प्रतिशत
1.	प्रताप नगर, सांगानेर	16/CS/A-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16/CS/B-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16/CS/C-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 16/CS/D-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	61	-
2.	इन्दिरा गांधी नगर, सेक्टर-6	6/SC/2/13, 14, 15, 16, 17, 21, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 6/SC/2/7, 9, 10, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 6/SC/2/61, 6/SC/2/24, 25, 26, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 57, 58, 59, 6/SC/2/31, 32, 33, 34, 35, 36, 6/SC/2/29, 38, 45, 60, 30, 37	53	-
3.	इन्दिरा गांधी नगर, सेक्टर-4	4/SC/3/49, 50, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 4/SC/23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 4/SC/01, 04, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81	78	-
4.	इन्दिरा गांधी नगर, सेक्टर-5	5/C-08/02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 09, 19, 26, 27, 34	31	-
5.	बनास विहार आवासीय योजना, टोंक	03/09, 05, 06, 07, 08	05	-
6.	खान भाकरी रोड योजना, दौसा	A-02, 03, 04, 05, 16, 17, 18, 19, 20, 21	10	-
7.	स्काउट फील्ड योजना, सवाई माधोपुर	SP-22, 24, 25, 26	04	-
8.	कृष्णा नगर, भरतपुर	1 व 8 एवं 4 व 5	-	04
9.	एन.ई.बी. विस्तार योजना, अलवर	2-S1 & 10, 2S/2, 9, 2S/4, 6, 7, 11, 12, 13, 14,	11	-

9

10.	एन.पी नगर, बीकानेर	S-21, S-22	02	
11.	ताडसर रोड़, नागौर	1-S-29, 1-S-30, 1-S-31, 1-S-32, 1-S-33, 1-S-34, 2-S-1, 2-S-2, 2-S-3, 2-S-4,	10	<del>CANCELLED</del>
12.	विकास नगर, बूंदी	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,	07	-
13.	कुडी भगतासनी योजना, जोधपुर-प्रथम	(KBS Sect. 3 Jodhpur) Shop No. 3-VS-1,4,5,6	04	
15.	चौपासनी आवासीय योजना, सेक्टर-22, जोधपुर-द्वितीय	Shop No. 22-S-48,49,50,51, 52,53, 54,55	18	
		Shop No. 2-S-57,58,59,60,61,62,63,64,65,66		
		Shop No. 22-S-56	01	
		Shop No. 11/09	01	
		Shop No. 21-K-1,2,3	03	
कुल			299	04
कुल योग			303	

संबंधित उप आवासन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा उक्त निर्मित दुकानों/व्यावसायिक सम्पत्ति का निस्तारण न्यूनतम ऋणात्मक वर्तमान आरक्षित दर में 0-25 एवं 0-50 प्रतिशत के Slab में रखते हुए बुधवार नीलामी उत्सव के तहत मण्डल द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 164 दिनांक 21.08.19 में निर्धारित शर्तों के अनुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(पवन अरोडा)  
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता-प्रथम, द्वितीय एवं मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, तृतीय जयपुर एवं द्वितीय जोधपुर।
4. निजी सचिव-वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति० निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा०आ०म० जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम/तृतीय जयपुर एवं वृत्त प्रथम, द्वितीय, जोधपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-अलवर/कोटा, बीकानेर रा०आ०म०।
8. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/ग्यारह/बारह/ तेरह, जयपुर, भरतपुर, अलवर, बीकानेर, नागौर, बूंदी तथा खण्ड द्वितीय, जोधपुर रा०आ०म०.....
9. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), रा०आ०म०, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

*(पवन अरोडा)*  
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) 31/11/2020